न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 69/2019 वाद
दायर दिनांक – 19/08/2019
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. मीना दशोरा पिता घासीराम जी जाति दशोरा निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमगरा — वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद — प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

निर्णय

वादीया की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बैठुम्बी तहसील रेलमगरा में वादीया के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात संख्या 263, 264, 276, 291, 469, 713, 754, 817,873, 1070, 1073 कुल किता 11 ग्यारह कुल रकबा 24-15 बिघा प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। उक्त आराजीयात में वादीया का नाम सहखातेदार के रूप में लाली के नाम से दर्ज है। जबकि वादीया का नाम लाली नही होकर मीना दशोरा है व वादीया को मीना दशोरा पिता घासीराम के नाम से ही जाना व पहचाना, माना जाता है। वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में मीना दशोरा अंकन होना था लेकिन मीना दशोरा की जगह लाली अंकन हो गया। क्योंकि श्री घासीराम जी की मृत्यू जब वादीया नाबालिक थी जिससे जब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादीया का नाम मीना दशोरा के बजाय लाली दर्ज हो गया था जबकि वादीया को मीना दशोरा के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादीया के नाम का है उसमें आधारकार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग का, राशनकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका सभी में मीना दशोरा पिता घासीराम के नाम से ही वादीया का नाम अंकन है। खातेदार लाली पिता घासीराम एवं वादीया मीना दशोरा पिता घासीराम एक ही महिला है। इस नाम की ओर कोई महिला गांव बैठुम्बी में नहीं है। वादीया को अभी अपनी जमाबंदियो की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादीया का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में मीना दशोरा पिता घासीराम की बजाय लाली पिता घासीराम दर्ज है जिससे वादीया ने राजस्व

अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादीया को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादीया प्रतिवादी के यहां बार बार जाती रही तो भी वादीया का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादीया प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में लाली पिता घासीराम के बजाय मीना दशोरा पिता घासीराम अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादीया को घोषणा राजस्व अभिलेख में सही अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपना नाम मीना दशोरा पिता घासीराम को राजस्व अभिलेख में लाली पिता घासीराम के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में लाली पिता घासीराम की बजाय मीना दशोरा पिता घासीराम अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादीया की ओर से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजो में वादीया का नाम सही अंकन है जो मीना दशोरा पिता घासीराम है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में मीना दशोरा पिता घासीराम के बजाय लाली पिता घासीराम गलत अंकन है इस कारण वादीया न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विकय आदि कर सकता है जिससे वादीया के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादीया ने आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन लाली पिता घासीराम की बजाय मीना दशोरा पिता घासीराम राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादीया का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद पत्र की कलम सं, 01 में वर्णित आराजीयात में वादियाका नाम के साथ नाबालिक अभिभावक वाल्दा माता मु. लाली देवी का अंकन है लेकिन वादिया बालिग हो चुकी है व उसके बालिग होने के दस्तावेज पत्रावली में पेश है। जिससे उक्त खाते से नाबालिग हटवाया जाकर बालिग करवाया जावें। वादीया का वाद विरूद्व राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादीया को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीया की उक्त आराजीयात ग्राम पनोतिया व नारायणगंज पटवार हल्का पनोतिया, तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से व वाद राजस्व अभिलेख में अपना नाम सही अंकन कराने व ईन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणा का होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का नाम लाली पिता घासीराम है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में मीना दशोरा पिता घासीराम अर्थात् वादीया का नाम लाली के बजाय मीना दशोरा ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेखो में अंकन फरमाया जावें। वादीया के नाम

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के साथ राजस्व अभिलेख में नाबालिक अभिभावक वाल्दा माता लगा है। अब वादिया बालिग हो चुकी है जिससे नाबालिग हटवाई जाने की डिक्री फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादीया अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 01 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादीया का नाम मीना दशोरा पिता घासीराम दशोरा अंकित है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम बैठुम्बी के आराजी नम्बर 263, 264, 276, 291, 469, 713, 754, 817, 873, 1070, 1073 कुल किता–11 रकबा 24–15 बीघा में अंकित वादीया का नाम लाली पिता घासीराम के बजाय लाली उर्फ मीना पिता घासीराम अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है बाकि बादस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।
निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा